तिजारत के इस्लामी उसूल

इमादुल उलमा सै0 मुहम्मद रज़ी साहिब क़िब्ला मुजतहिद

तिजारत को किसी क़ौम की मआशी फलाह व कामियाबी में जो बुनियादी हैसियत हासिल है वह हर समझदार इन्सान जानता है। इस्लाम ने इस सिलसिले में ख़ास तौर पर हिदायात की हैं और मुसलमानों की तरक़्क़ी व मज़बूती, आज़ादी और आत्मनिर्भरता और खुशहाली के लिये तिजारती कारोबार पर सख़्ती के साथ ज़ोर दिया है। एक हदीस का तर्जुमा हैः ''तिजारती कारोबार को न छोड़ो वरना तुम ज़लील व बेइज़्ज़त हो जाओगे। तिजारत करो अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाएगा।'' दूसरी हदीस का तर्जुमा यह हैः ''जो शख़्स तिजारत को छोड़ देता है उसकी दो तिहाई अक़्ल चली जाती है। तिजारत न छोड़ो कि इससे अक़्ल घट जाती है। अपने घर वालों की रोज़ी के लिये तुम ख़ुद कोशिश करो और ऐसा न होने दो कि तुम ख़ुद तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और वह लोग तुम्हारे लिये मेहनत और कोशिश करें। कुछ हदीसों में तिजारती कारोबार को ख़ुदा के रास्ते में जेहाद के बराबर बताया गया है। और कुछ में इसे नमाज़ के बाद फ़ज़ीलत का दर्जा दिया गया है। ग़रज़ तिजारत एक ऐसी चीज़ है जिसे इस्लाम ने मुसलमानों की इन्फेरादी और इज्तेमाई ज़िन्दगी के लिए बहुत अहम हैसियत दी है। जिस वक़्त सरकारे दो आलम (स0) ने मक्का में इस्लाम की दावत देने की शुरुआत की थी उस वक़्त कुरैश की ज़िन्दगी का भी एक बड़ा सहारा तिजारती कारोबार ही था और वह बड़ी तादाद में गर्मी और जाड़े के मौसम में शाम और यमन के सफर किया करते थे। इस्लाम की दावत की शुरुआत और हिजरत के शुरु के दिनों में मुसलमान तरह–तरह की मुसीबतों में घिरे हुए थे इसलिए उन्हें इसका मौक़ा नहीं मिल सका कि वह तिजारती मैदान में आगे क़दम बढ़ा सकें। पूरा माहौल उनका दुश्मन था और ज़िन्दगी के तमाम रास्ते उनके लिये बन्द हो चुके थे लेकिन कुछ ज़माने के बाद जब सरवरे काएनात (स0) की अज़ीम सरदारी की बदौलत उन्हें ताक़त मिलने लगी और उनके जमने और कामियाबी की सूरतें उभरने लगीं तो उनको रसूले अरबी (स0) ने तिजारती कारोबार की तन्ज़ीम का और उसे आगे बढ़ाने का सख़्ती के साथ हुक्म दिया और इस हक़ीक़त से आगाह फरमाया कि तिजारती कारोबार में कामियाबी हासिल किये बिना उन्हें एक आत्मनिर्भर और शानदार ज़िन्दगी नहीं मिल सकती और यह कि जो क़ौमें तिजारत की दुनिया में कोई इज़्ज़त की जगह नहीं रखतीं वह हमेशा ज़लील और दूसरों की गुलाम रहा करती हैं लेकिन साथ ही इस्लाम ने तिजारती कारोबार के लिये ऐसे उसूल और क़ानून बना दिये हैं जिनके हिसाब से काम करने से कभी वह इन्फेरादी और इज्तेमाई ख़राबियाँ नहीं पैदा हो सकतीं जो इन क़ानूनों से बे परवाह और आज़ाद रह कर पैदा हो सकती हैं।

इन बुनियादी क़ानूनों और उसूलों के सिलसिले में कुछ आयतों और हदीसों को सामने रखना बिलकुल काफी होगा। सूर–ए–निसा आयत–29 में अल्लाह का इरशाद हैः ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ तरीक़े पर न खाओ हाँ अलबत्ता अगर आपसी रज़ामन्दी से कोई तिजारती मामला हो तो कोई बुराई नहीं है।

दूसरी एक और आयत (275) सूर–ए–बक़रा की है जिसके एक हिस्से में फरमाया गया हैः अल्लाह ने बैअ को हलाल किया है और सूद को हराम कर दिया है।

इन आयतों से तिजारत का यह इस्लामी ख़याल साफ हो गया कि इसमें कोई एक दूसरे को किसी तरह का भी धोखा न दे और उससे नाजाएज़ फायदा उठाने की कोशिश न करे और जो कारोबार भी हो पूरी दयानतदारी और आपसी रज़ामन्दी से हो इस तरह फरेब देने, मिलावट, ऐब छुपाने और इसी तरह की दूसरी बातों से तिजारती कारोबार हमेशा के लिये महफूज़ रह सकता है, एक शख़्स दूसरे पर जो भरोसा रखता है इसमें कोई फ़र्क न होगा, तिजारत की साख क़ायम रहेगी और बेएतेबारी या शक व शुबह से जो नुक़सान तिजारती मुआमलात को पहुँच सकता है वह नहीं पहुँचेगा। क्योंकि तिजारती पेशे में दयानतदारी की साख क़ायम हो जाना उसकी कामियाबी के लिए बहुत बड़ी ज़मानत है।

हज़रत इमाम जाफरे सादिक़ (अ0) ने अपनी एक हदीस में फरमाया था जिसका तर्जुमा यह है कि: ''अपनी ज़बान बातचीत में सच्ची रखो और माल में जो कमी हो उसे कभी न छुपाओ। जो शख़्स तुम पर भरोसा रखता है इसे नुक़सान पहुँचाने की कोशिश न करो यानी हर एक के साथ पूरी सच्चाई के साथ मुआमला करो और दूसरे लोगों के लिये भी वही अच्छी और जायज़ बात पसन्द करो जो तुम ख़ुद अपने लिये पसन्द करते हो। हक़ दो और हक़ लो। न डरो न ख़यानत करो, बेशक सच्चा और दयानतदार ताजिर क़यामत में फरिश्तों के साथ होगा। क़समें खाने से परहेज़ किया करो क्योंकि झूठी क़समें, क़सम खाने वाले को जहन्नम का मुस्तहक बना देती हैं। यक़ीनन वही ताजिर तारीफ के क़ाबिल है जो हक़ दे और हक़ ले।''

क़ुर्आने हकीम ने बहुत सी जगहों पर नाप–तौल में कमी करने वालों की सख़्त बुराई की है और उस पर तबाही और अज़ाब का एलान किया है और यूँ भी यह काम हराम मामलात के उसूल में शामिल है जिसको अल्लाह ने मना किया है और उस आपसी रज़ामन्दी के इस्लामी उसूल के भी ख़िलाफ है जो बेचने वाले और गाहक के बीच ज़रूरी है। ग़रज़ इस्लाम ने जहाँ तिजारत को मुसलमानों की ज़िन्दगी और इन्फेरादी व इज्तेमाई फलाह व कामियाबी, वक़ार व इज़्ज़त और तरक़्क़ी व मज़बूती को अहमतरीन ज़रिया बताया है साथ ही क़ुर्आन व हदीस के ज़रियेसे इसकी कुछ हदों से भी आगाह कर दिया है। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ वह हदें और वह पाबन्दियाँ हैं जो तकलीफ पहुँचाने और इस्तेहसाल से रोकने के लिये हैं जैसे धोका, ग़लत बयानी, महंगाई, अपने माल की हद से बढ़कर तारीफ करना जिसमें हद से ज़्यादा इश्तेहार क़तई तौर पर दाख़िल है। ख़राब माल को अच्छा बताकर पेश करना, क़ीमत के तै करने के बारे में झूठ से काम लेना। ख़रीदार को तरह–तरह से इसका शौक़ दिलाना और ऐसी तरकीबें करना कि वह माल की ज़्यादा क़ीमत देने पर आमादा हो जाए। माल को महंगा बेचने के लिये जमा करना जिसे शरीई ज़बान में ''एहतेकार'' कहते हैं या किसी और तरीक़े से चीज़ों की क़ीमतों में बनावटी महंगाई पैदा करने की कोशिश करना। इस्लाम ने इसकी तालीम दी है कि बेचने वाले के लिये यह बात ज़रूरी है कि अगर उसके माल में कोई बुराई है तो उस से ख़रीदार को पूरी तरह बाख़बर करे इसी तरह ख़रीदार की मजबूरी से फायदा उठाकर उससे ज़्यादा दाम वुसूल कर लेना भी उन तमाम ग़लत तरीक़ों में शामिल है जिनको किताब व सुन्नत में साफ तौर पर बयान किया गया है और इस तरह का तिजारती मुआमला क़तई तौर पर नाजायज़ और फासिद होगा।

मजबूरी की हालत से मुराद यह है कि ज़रूरत से मजबूर होकर कोई अपना माल बेच रहा हो या कोई ज़रूरतमन्द शख़्स किसी माल को ख़रीद रहा हो। इस तरह "मुज़तर" जिसे हम दूसरी लफ़्ज़ों में सख़्त ज़रूरतमन्द कहते हैं। बेचने

वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही हो सकते हैं। आम तौर पर लोग ऐसे मौक़ों से नाजायज़ फायदा उठा लेते हैं। शरीअते इस्लाम ने लोगों को इस इन्सानी जुर्म से सख़्ती के साथ रोका है। एक हदीस में फरमाया गया है कि ऐसे लोग बदतरीन इन्सान हैं जो किसी की परेशान हाली से इस तरह का फायदा हासिल करें। ख़ुलासा यह हुआ कि इस्लाम ने इस तरह की तिजारती कारोबार की इजाज़त दी है जिसमें पूरी दयानतदारी से काम लिया जाए। जिसमें आपस की भरपूर रिज़ामन्दी हासिल हो। धोका और फरेब किसी शक्ल और किसी तरीक़े पर भी न हो, बदनियती, इस्तेहसाल और तकलीफ पहुँचाने का कोई रुख़ मौजूद न हो, किसी शख़्स की परेशानी और मजबूरी की हालत और घबराहट या मुसीबत से फायदा हासिल करने की कोशिश न हो। वादा ख़िलाफी, ग़लत बात कहना और बुरा मुआमला करने से क़तई तौर पर काम न लिया जाए। लिखा पढ़ी और तमाम मुआमलात सही तौर पर किये जाएँ। अपने माल की बढ़ाचढ़ाकर तारीफ़ करके या किसी दूसरे तरीक़े से ख़रीदार को फाँसने की कोशिश न की जाए, तिजारत के माल की सही और असली हालत से ख़रीदार को आगाह किया जाए और साथ ही उन चीज़ों और उन तरीक़ों से तिजारत की जाए, जिनसे तिजारत करना इस्लाम ने जाएज़ क़रार दिया है और उन्हें ग़लत और हराम नहीं किया है। फिर तिजारत का मक़सद अपनी अकेले की ख़ुशहाली के साथ–साथ सबकी कामियाबी और ख़ुशहाली भी हो यानी तिजारत की ग़रज़ यह न हो कि कुछ लोग दौलत व मालदारी के तमाम रास्तों और नतीजों पर क़ब्ज़ा करके बैठ जाएँ और दूसरे लोग उनके भिखारी बन जाएँ बल्कि मेहनत करने वालों को उनका पूरा–पूरा हक़ मिले और माल पूरे समाज में फिरता रहे ताकि माल लगाने वाले और मेहनत करने वाले सबके सब मिल कर पूरी क़ौम को ख़ुशहाल बना सकें।

जिस तिजारत में हक़ पाने और पहचानने का वजूद न हो और जिसकी बुनियाद ज़ुल्म, नुक़सान, नफ्स परवरी, ऐश परस्ती, ख़ुदग़रज़ी, मफादपरस्ती और मौक़ा परस्ती और दूसरों के इस्तेहसाल पर हो वह तिजारत बिलकुल ग़ैर इस्लामी है और बेशक वह इन्सानी नस्ल के लिये तबाही और बर्बादी का एक ख़ौफनाक पैग़ाम साबित होगी।

माल व दौलत अल्लाह की अमानत है

अल्लाह ने जगह–जगह क़ुर्आन हकीम में फरमाया है कि जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है वह सब का सब उसी की मिलकियत है। सूर–ए–'हदीद' में अल्लाह का इरशाद हैः ''आसमानों और ज़मीन में उसी की सलतनत है'' सूरा–ए–'शूरा' में फरमाता हैः ''उसी अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है''। फिर सूरा–ए–'ज़ुख़रुफ' में फरमाया गया है ''वह ज़ात बड़ी आलीशान है जिसके लिये आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है सबकी हुकूमत है'' फिर सूरा–ए–'नज्म' में फरमाता हैः और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ही का है।'' यहाँ अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि हम माल व दौलत के असली मालिक नहीं हैं बल्कि इसके अमानतदार हैं। और हमें अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ एक पैसा भी न ख़र्च करना चाहिए और इसी तरह सारे ख़र्चे पर कड़ी नज़र रखना चाहिए जिस तरह एक बहुत ही दयानतदार और अमानतदार शख़्स किसी की अमानत को बेजा और ग़लत तरीक़े से ख़र्च करने से बचता है। चुनानचे इसी सूरा–ए–'नज्म' में फिर फरमाया गया हैः ''यह जो कुछ माल व दौलत अल्लाह ने

इन्सानों को दिया है उसकी ग़रज़ यह है कि वह उन लोगों को सज़ा दे जो इसका ग़लत इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को सवाब दे जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं।

सूरा 'हदीद' में एक जगह अल्लाह का इरशाद है जिसका तर्जुमा यह हैः ''अल्लाह और उसके रसूल (स0) पर सच्चे दिल से ईमान लाओ और अपने माल व दौलत में से जिसमें तुमको उसने अपना नाएब बनाया है उसके रास्ते में ख़र्च करो।'' इन तमाम बातों से यह नतीजा निकला है कि हम जिस माल व दौलत को अपना कहते हैं वह हक़ीक़त में हमारा नहीं है बल्कि अल्लाह का है और हम सिर्फ एक अमीन और नाएब की हैसियत रखते हैं इसलिए हमें अल्लाह की इस अमानत को उसी तरह ख़र्च करना चाहिए जिस तरह उसकी मर्ज़ी हो वरना यह ख़यानत होगी और हमें इसकी सज़ा मिलेगी। इस बात को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ज़मीन व आसमान की जितनी चीज़ें हैं वह सब अल्लाह की पैदा की हुई हैं और उन्हीं से हम अपने लिये हर तरह के फायदे हासिल करते हैं और उन्हीं को हम अपना माल व दौलत समझते हैं तो जब हम यह देखेंगे कि जो चीज़ें हमारे क़ब्ज़े में हैं चाहे वह ज़मीन हो, पानी हो, आग हो या कोई और चीज़ हो इनमें से कोई चीज़ भी हमने नहीं बनाई बल्कि वह सब अल्लाह ही की बनायी हुई हैं तो हम पूरी तरह समझ जाएँगे कि न तो हमारे जिस्म के हिस्से हमारे हैं, और न हमारा जिस्म हमारा है और न वह चीज़ें हमारी हैं जो हमारे क़ब्ज़े और इस्तेमाल में हैं बल्कि हम और हमारी हर चीज़ अल्लाह ही की बनाई हुई है तो ऐसी सूरत में लाज़मी तौर पर हम अपने हर अमल में हर काम में और हर इस्तेमाल और हर ख़र्च में एक ख़ज़ान्ची, नौकर और अमानतदार की तरह अल्लाह की बारगाह में जवाब देने वाले होंगे। आपने बार–बार देखा होगा कि जब कोई शख़्स अपने नौकर को कुछ रक़म देता है ताकि वह बाज़ार से कुछ सौदा वग़ैरा ले आए और जब वह नौकर उसकी मंगाई हुई चीज़ें लाता है तो वह किस तरह उस से एक–एक चीज़ का हिसाब माँगता है फिर वह यह भी देखता है कि इस नौकर ने सौदा लाने में वक़्त कितना लगाया। ग़रज़ किसी अमानत को ख़र्च करने में इन्सान पर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है बस इसी तरह हर शख़्स को अपनी ज़िम्मेदारी अल्लाह की बारगाह के सामने भी समझना चाहिए बल्कि इस ज़िम्मेदारी की अहमियत तो सबसे ज़्यादा है। एक नौकर और मुलाज़िम के पास जो अमानत है वह उसके बनाए हुए मालिक की होती है और ख़ुद हर इन्सान के पास जो कुछ भी है वह उसके हक़ीक़ी मालिक और आक़ा अल्लाह की मिलकियत है और फिर ऐसा मालिक जो इन्सान के हर छुपे हुए और हर ज़ाहिर काम की पूरी ख़बर रखता है और कोई राज़ भी उसकी ज़ात से छुपा नहीं रखा जा सकता जबकि बनाए गये मालिक की नज़र से बहुत सी बातें उसके नौकर की छुपी रहती हैं और वह इन बातों को नहीं जानता। खुलासा यह हुआ कि हम माल व दौलत के अमानतदार हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बात को बड़ी गहरी निगाह से देखते रहें कि हमारे पास जो माल आया है वह हराम रास्तों से न हों। और जिन बातों में हम इस माल को ख़र्च करें वह भी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ न हों अगर हम अपने माल को ख़ुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ ख़र्च करेंगे तो अस्ल में हम अल्लाह के माल में ख़यानत करेंगे और ऐसे लोगों के लिए ख़ुदा फरमाता हैः यानी ''अल्लाह किसी ख़यानत करने वाले, शुक्र अदा न करने वाले को हरगिज़ दोस्त नहीं रखता।''

ग़रज़ कि सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी दौलत ख़ुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ न इकटठा करे और न ख़र्च करे।

